GOOD ¥EAR गुडइयर इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः L25111HR1961PLC008578 पंजीकृत कार्यालयः मधुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद) -121004, हरियाणा, भारत टेलीफोनः 0129-6611000, फैक्सः 0129-2305310 ई-मेलः goodyearindia_investorcell@goodyear.co.in

नोटिस

- सेवी (भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड) के 29 और 47 के विनियम, 2015 (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के लिए सूचना एतद् द्वारा दी जाती है कि गुडइयर इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 07 दिसम्बर 2020 को होगी, अन्य बातों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभाश की घोषणा, यदि कोई हों, पर विचार करना।
- कृपया थ्यान दें कि अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो के लिए शेयरधारकों की पालता का निर्धारण करने के उद्देश्य से 15 दिसंबर, 2020 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया गया है।

3. लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिकार-पत्न रजिस्टर करने का तरीकाः

- (क) फिजीकल रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रोंनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम के द्वारा सीचे अपने बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार-पन्न में संशोधन या बदलाव नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी पूरा विवरण कंपनी को भेजकर इलेक्ट्रोंनिक बैंक मैंडेट से अवगत कराएं। कंपनी का ईमेल हैgoodyearindia_investorcell@goodyear.com या आरटीए srikant@skylinerta.com पर करें।
- (ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडिट में सुधार करें।
- 4. वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से, लाभाश की आय पर टैक्स कट कर सदस्यों को मिलेगी। और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश से स्रोत (टीडीएस) पर कर में कटौती करेगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्त अधिनियम 2020 और इसमें संशोधन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पैन नंबर के बारे में, अगर कोई संशोधन है, तो कंपनी को इसकी सूचना दें या उसकी आरटीए को (फिजिकल शेयरों के मामले में)। आप इस पते पर ईमेल भेज सकते हैं- goodyearindia_investorcell@goodyear.com या srikant@skylinerta.com और बिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमेट शेयरों के मामले में)।
- 5. बैंक खाते का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण, कंपनी किसी भी सदस्य को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने में असमर्थ होती है, तो कंपनी ऐसे शेयरधारक को बाक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित करेगी।
- 6. सेबी द्वारा जारी आदेश-पत के अनुसार, वे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपने शेयरों को डी-मटीरीलाइज़ नहीं किया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसा कर लें और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपना शेयर सर्टिफिकेट भेजें, जिसके साथ उन्होंने कंपनी के आरटीए में डी-मैटीरीयलाइज़ेशन खाता खोला है।
- 7. इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.goodyear.co.in/investor-relations के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

गुडइयर इंडिया लिमिटेड के लिए

दिनांक: 02 दिसम्बर,2020 **स्थान:** नई दिल्ली

हेड-लीगल, अनुपालन एवं कंपनी सचिव

तिनसता Thu, 03 December 2020 https://epaper.jansatta.com/c/56765032



सोनाली खन्ना